संख्या-2/2015/482/25-8-2015-39(11)/70

प्रेषक,

आलोक रंजन,
मुख्य सचिव,
उत्तर प्रदेश शासन।

सेवा में,

(1) समस्त प्रमुख सचिव/सचिव,
उत्तर प्रदेश शासन।

(2) पुलिस महानिदेशक,
उत्तर प्रदेश, लखनऊ।

(3) समस्त विभागाध्यक्ष,
उत्तर प्रदेश।

(4) अपर पुलिस महानिदेशक,
आर्थिक अपराध अनुसन्धान संगठन,
उ0प्र0, लखनऊ।

(5) समस्त जिलाधिकारी,
वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक/पुलिस अधीक्षक,
उत्तर प्रदेश।

गृह (गोपन) अनुभाग-8 लखनऊ : दिनांक : 23 जून, 2015

विषय: आर्थिक अपराध अनुसन्धान संगठन से जांच/विवेचना कराए जाने के सम्बन्ध में जारी आदेशों के अनुपालन के सम्बन्ध में।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक कृपया आर्थिक अपराध अनुसन्धान संगठन द्वारा की जा रही जांचों/विवेचनाओं के सम्बन्ध में पूर्व में निर्गत पार्श्वांकित पत्रों का सन्दर्भ ग्रहण करें।

1-	शासनादेश सं0-9129/आठ-क,	दिनांक 30 सितम्बर, 1970
2-	शासनादेश सं0-39/11/70सी;एक्स-4	दिनांक 18 सितम्बर, 1972
3-	अर्द्धशा0पत्र सं0-39/11/70 सी0एक्स0-4	दिनांक 06 दिसम्बर, 1989
4-	अर्द्धशा0पत्र सं0-2345/25-9-94-39/11/79	दिनांक 07 फरवरी, 1995
5-	अर्द्धशा0पत्र सं0-242/25-8-99-17(2)/99	दिनांक 28 जनवरी, 1999
6-	शासनादेश सं0-1756/25-8-2000-17(157)/99	दिनांक 30 जनवरी, 2001
7-	अर्द्धशा0पत्र सं0-सी0एम0-32/25-8-06-17(60)/05	दिनांक 07 अगस्त, 2006

http://shasanadesh.up.nic.in

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है ।
2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।

8-	शासनादेश सं0-1367/25-8-2006-39/11/70	दिनांक 30 अक्टूबर, 2006
9-	शासनादेश सं0-1027/25-8-2007-39/11/70	दिनांक 10 मई, 2007
10-	शासनादेश सं0-1351/25-8-2008-17 (105)/2006	दिनांक 11 जुलाई, 2008
11-	शासनादेश सं0-239/25-8-2014-39/11/70 टी0सी0	दिनांक 19 अगस्त, 2014

यह देखने में आ रहा है कि उपर्युक्त शासनादेशों में दिये गये दिशा-निर्देशों का तत्परतापूर्वक अनुपालन सुनिश्चित नहीं किया जा रहा है, जिससे आर्थिक अपराधों में निरन्तर बढ़ोत्तरी हो रही है, जो शासन के लिए चिन्ता का विषय है। प्रदेश की अर्थव्यवस्था को सुदृढ़ बनाये रखने हेतु आर्थिक अपराधों पर प्रभावी नियन्त्रण सुनिश्चित किया जाना परमावश्यक है। अतः पूर्व में निर्गत शासनादेशों/दिशा निर्देशों के क्रम में प्रदेश में बढ़ रहे आर्थिक अपराधों की ई0ओ0डब्लू0 द्वारा की जाने वाली जाँचों/ विवेचनाओं को और अधिक गतिशील एवं प्रभावी बनाए जाने के सम्बन्ध में निम्नलिखित दिशा-निर्देश जारी किए जाते हैं :-

(1) आर्थिक अपराध (Economics Offences) का तात्पर्य ऐसे समस्त मामलों से होगा, जिनका प्रतिकूल प्रभाव राज्य के राजस्व एवं अर्थ व्यवस्था पर पड़े। ऐसे मामलों, जिनमें धोखाधड़ी जालसाजी, कपट, गबन, दुर्विनियोग, करों व उत्पाद शुल्क के अपवंचन/तस्करी, चोर बाजारी, स्टाक एवं शेयरों के बदनीयती से चालबाजी, गैर बैंकिंग वित्तीय कम्पनियों में अवैध कृत्यों, जाली नोटों, सिक्कों का निर्माण एवं प्रचलन, बौद्धिक सम्पदा अधिकार (Intellectual Property Rights), साइबर क्राइम आदि अन्य नए अथवा पुराने प्रकार के आर्थिक अपराध से सम्बन्धित समस्त मामलों की जांच/विवेचना आर्थिक अपराध अनुसन्धान संगठन द्वारा की जाएगी जो शासन के गोपन विभाग (अनुभाग-8) को सन्दर्भित किए जाएंगे।

(2) राज्य सरकार के विभिन्न विभागों, संगठनों, निगमों, परिषदों तथा अन्य स्वायत्तशासी संस्थाओं, जिनमें आर्थिक अपराधों तथा विभिन्न योजनाओं में आर्थिक अनियमितताओं एवं दुर्विनियोग से सम्बन्धित मामलों, जिनमें आर्थिक क्षति होना पाया जाता है, में प्रशासकीय विभाग/संस्थाएं प्रथम दृष्ट्या अपने स्तर पर प्रारम्भिक जांच करा ले और यदि उस जांच में राजस्व क्षति, गबन, धोखाधड़ी

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है ।
2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।

आदि कारित होना पाया जाता है, तो ऐसे मामलों में आवश्यकतानुसार सम्बन्धित व्यक्ति या संस्था के विरूद्ध प्रथम सूचना रिपोर्ट दर्ज कराकर आर्थिक अपराध अनुसन्धान संगठन से जांच/विवेचना कराए जाने हेतु सुस्पष्ट प्रस्ताव/संस्तुति शासन के गोपन विभाग को सन्दर्भित किया जाय।

(3) गैर बैंकिंग वित्तीय कम्पनियों/प्राइवेट व्यक्तियों द्वारा किए जा रहे आर्थिक अपराधों, जिनमें राजस्व क्षति निहित हो, बौद्धिक सम्पदा अधिकार (Intellectual Property Rights) से सम्बन्धित मामलों में की गई धोखाधड़ी तथा साइबर क्राइम से सम्बन्धित मामलों, जिनमें आर्थिक अपराध कारित होना पाया जाता है, ऐसे समस्त मामलों की जांच/विवेचना आर्थिक अपराध अनुसन्धान संगठन द्वारा की जाएगी। इस सम्बन्ध में प्रस्ताव/ सूचना गोपन विभाग को सन्दर्भित किए जाएं।

(4) प्राय: यह देखा जा रहा है कि आर्थिक अपराध अनुसन्धान संगठन को सौंपी गई जांचों/विवेचनाओं में कई वर्षों का समय लग जाता है और आर्थिक अपराध अनुसन्धान संगठन द्वारा समय से जांच/विवेचना की कार्यवाही पूर्ण न करने के कारण एक तरफ जहां दोषियों के विरूद्ध कोई कार्यवाही नहीं हो पाती है वहीं दूसरी ओर अत्यधिक विलम्ब के फलस्वरूप ऐसे मामलों में जॉच निष्फल एवं औचित्यहीन हो जाता है। अत: सम्यक् विचारोपरान्त यह निर्णय लिया गया है कि शासन स्तर से आर्थिक अपराध अनुसन्धान संगठन को जो भी मामले जांच/विवेचनाओं हेतु सन्दर्भित किए जाएँ, आर्थिक अपराध अनुसन्धान संगठन द्वारा ऐसे मामलों में जांच/विवेचना की कार्यवाही 03 माह में अवश्य पूरी की जाएगी, यदि 03 माह में आर्थिक अपराध अनुसन्धान संगठन द्वारा जांच/विवेचना की कार्यवाही पूर्ण नहीं की जाती है तो इस सम्बन्ध में सकारण औचित्यपूर्ण सूचना गोपन विभाग को दी जाएगी।

(5) आर्थिक अपराध अनुसन्धान संगठन द्वारा शासन को भेजी गई जांच/विवेचना आख्या में की गई संस्तुति पर शासन द्वारा निर्णय लेकर तदनुसार कार्यवाही हेतु सम्बन्धित प्रशासकीय/आर्थिक अपराध अनुसन्धान संगठन को निर्देशित किया जाएगा और सम्बन्धित प्रशासकीय विभाग/आर्थिक अपराध अनुसन्धान संगठन को शासन द्वारा दिए गए निर्देशों का अनुपालन शीघ्र कराकर कृत कार्यवाही से शासन को अवगत कराया जाएगा।

(6) ऐसे मामले जिनमें आर्थिक अपराध अनुसन्धान संगठन की जांच/विवेचना आख्या में दोषी पाए गए लोक सेवकों के विरूद्ध अभियोजन स्वीकृति प्रदान किया जाना है, उस सम्बन्ध में प्रशासकीय विभाग द्वारा प्रत्येक दशा में 03 माह के

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है ।
2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।

अन्दर अभियोजन स्वीकृति प्रदान कर गोपन विभाग को अवगत कराया जाएगा। यदि 03 माह के अन्दर प्रशासकीय विभाग द्वारा अभियोजन स्वीकृति प्रदान नहीं की जाती है तो गोपन विभाग द्वारा सम्बन्धित लोक सेवकों के विरूद्ध मा0 न्यायालय में आरोप पत्र दाखिल कराए जाने की कार्यवाही की जाएगी।

(7) आर्थिक अपराध अनुसन्धान संगठन की जांच/विवेचना आख्या में की गई संस्तुति से भिन्न कार्यवाही किए जाने की स्थिति में प्रशासकीय विभाग द्वारा अग्रेतर उपरिसन्दर्भित शासनादेश दिनांक 10-05-2007 में दी गई व्यवस्था के अनुसार अग्रेतर कार्यवाही हेतु औचित्यपूर्ण प्रस्ताव गोपन विभाग को उपलब्ध कराया जाएगा।

(8) आर्थिक अपराध से सम्बन्धित अभिसूचना संकलन के मामलों में ई0ओ0डब्लू0 द्वारा उपरिसन्दर्भित शासनादेश दिनांक 18-09-1972 में दी गयी व्यवस्थानुसार अग्रेतर कार्यवाही की जाएगी।

(9) आर्थिक अपराधों के सम्बन्ध में जनपद के विभिन्न थानों पर दर्ज प्रथम सूचना रिपोर्ट के प्रकरणों में सम्बन्धित जनपदों के वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक/ पुलिस अधीक्षक द्वारा प्रश्नगत प्रकरण की विवेचना आर्थिक अपराध अनुसन्धान संगठन से कराए जाने हेतु शासन को सन्दर्भित कर दिए जाते हैं और सम्बन्धित प्रकरण में विवेचना आदि की कार्यवाही रोक दी जाती है, यह प्रक्रिया कदापि ठीक नहीं है। अत: ऐसे सन्दर्भित प्रकरण की विवेचना आर्थिक अपराध अनुसन्धान संगठन से कराए जाने का निर्णय जब तक शासन स्तर से नहीं ले लिया जाता है, तब तक सम्बन्धित अभियोग की विवेचना स्थानीय पुलिस द्वारा जारी रखी जाय। इस सम्बन्ध में उपरिसन्दर्भित शासनादेश दिनांक 19-08-2014 का अनुपालन सुनिश्चित किया जाय।

(10) अन्तर्राष्ट्रीय आर्थिक अपराध से सम्बन्धित मामले, जो इन्टरनेट अथवा साइबर क्राइम के माध्यम से घटित होते हैं, उसकी आर्थिक अपराध अनुसन्धान संगठन से जांच/विवेचना कराए जाने का प्रस्ताव भेजने से पूर्व यह सुनिश्चित कर लिया जाय कि इस प्रकार की जांच आर्थिक अपराध अनुसन्धान संगठन द्वारा कराई जा सकती है अथवा नहीं \ यदि अन्तराष्ट्रीय जाँच एजेन्सियों जैसे- इन्टरपोल आदि से जांच कराए जाने की आवश्यकता पायी जाती हो तो इस सम्बन्ध में स्पष्ट औचित्यपूर्ण प्रस्ताव शासन को उपलब्ध कराया जाय।

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।

http://shasanadesh.up.nic.in

(11) जाली नोटों/मुद्रा से सम्बन्धित प्रकरणों में गृह (पुलिस) अनुभाग-3 द्वारा जारी शासनादेश दिनांक 22-04-2014 का अनुपालन सुनिश्चित करते हुए इस सम्बन्ध में की गई कार्यवाही की त्रैमासिक सूचना आर्थिक अपराध अनुसन्धान संगठन/शासन के गोपन विभाग को उपलब्ध कराया जाय।

कृपया उपर्युक्त आदेशों का कड़ाई से अनुपालन सुनिश्चित कराने का कष्ट करें।

भवदीय,

(आलोक रंजन)
मुख्य सचिव।

संख्या- 2/2015/482(1)/25-8-2015, तददिनांक।

उक्त की प्रतिलिपि शासन के समस्त विभाग/अनुभाग को उपरोक्तानुसार कार्यवाही हेतु प्रेषित।

आज्ञा से,

(देबाशीष पण्डा)
प्रमुख सचिव।

http://shasanadesh.up.nic.in

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है ।
2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।